# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

| प्रार्थना पत्र संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12 / 41 / 2024 | 12 06 2024 | 31 07 2024 |

1– सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा (राज0)

प्रार्थी

बनाम

2– मै0 हाई–टेक कैमिकल्स जी–1, 989, रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–111 भिवाडी।

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 व 25 का उल्लधंन के तहत।**

**उपस्थितः–**

1–.....  विभागीय प्रतिनिधि

2–श्री सुरेश चन्द यादव  वकील अप्रार्थी

## ––:: निर्णय ::––

उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा की ओर से यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 व 25 का उल्लधंन पाये जाने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 28.04.2016 को सांय को यू. आई. टी. पुलिस थाना भिवाडी से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुयी की भिवाडी में एक फैक्ट्री में कृषि ग्रेड के कटटे मौजुद है। सूचना पर भिवाडी स्थित फैक्ट्री मै0 हाई–टेक कैमिकल्स जी–1, 989 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया फेज–111 भिवाडी के प्रतिष्ठान पर पहुचे तो वहा पुलिस के जवान मौजुद थे। फर्म पर श्री रणधीर सिंह पुत्र अमर सिंह मौजुद थे, जो अपने आपको फर्म के पार्टनर बता रहे थे। उनको अपना परिचय देकर उनकी उपस्थिति में फर्म के परिसर का निरीक्षण किया तो वहा एन. एफ. एल. यूरिया के 40 कटटे व इफको यूरिया के 41 कटटे कुल 81 कटटे (बैग) कृषि ग्रेड के मिले। फर्म के पार्टनर रणधीर सिंह ने यूरिया खरीद के कोई बिल पेश नही कर पाया और न ही कोई इण्डस्ट्रियल उर्वरक लाइसेंस दिखा पाया। वहा उपस्थित फर्म के पार्टनर रणधीर सिंह को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानो के तहत उर्वरक नमूना लेने हेतु विधिवत नोटिस (प्रपत्र–5) दिया गया तथा उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये। उर्वरक (नियंत्रण)

आदेश–1985 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुऐ प्रतिष्ठान पर उपलब्ध उर्वरक यूरिया दोनो बाण्डो से एक–एक नमूना नियमानुसार लिये गये। मौके पर ही प्रपत्र, जे व मौका–पर्चा तैयार कर एक–एक प्रति प्रतिष्ठान के पार्टनर को दी गयी तथा हस्ताक्षर प्राप्त किये गये। विधिक प्रावधानुसार तीन–तीन सील्ड नमूनो में से एक नमूना उसी समय फर्म पार्टनर को दिया गया तथा बाकि दो–दो नमूने (एक नमूना विश्लेषण हेतु एंव एक नमूना उच्च अधिकारी संयुक्त निदेशक कृषि (तिलहन) भरतपुर खण्ड भरतपुर को जमा कराने हेतु) रख लिये गये। नमूना लेने के बाद उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (डी) के तहत सीजर नोटिस देकर यूरिया के उपलब्ध 81 कटटो को जब्त किया गया। फर्म को कृषि ग्रेड के यूरिया को अकृषि उपयोग में लेने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिया गया। लेकिन अभी तक कोई जवाब नही दिया गया है, दिनांक 29.04.2016 को जब्त उक्त यूरिया को सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम सेवा सहकारी समिति ततारपुर टपूकडा की सुपुर्दगी में दिया गया। इण्डस्ट्रियल उर्वरक लाइसेंस लिये बिना कृषि ग्रेड के उर्वरक को अकृषि कार्य में उपयोग लेने पर फर्म के विरूद्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 व 25 के उल्लधंन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना भिवाडी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। जिसकी एफ. आई. आर. संख्या 145/2016 दिनाक 29.04.2016 है। प्रकरण में उर्वरक का आहरित किये गये नमूने राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला भरतपुर की विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा नमूने मानक घोषित किये गये है। मै0 हाई– टेक कैमिकल्स जी–1, 989 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया फेज–111 भिवाडी ने कृषि ग्रेड के अनुदानित यूरिया को बिना इण्डस्ट्रियल उर्वरक लाइसेंस प्राप्त किये अकृषि कार्य (औधोगिक कार्य) में उपयोग अथवा स्टॉक करते पाया गया है, जो उर्वरक (नियंत्रण) 1985 के खण्ड 7 व 25 का उल्लधन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उर्वरक आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है, इस लिये उक्त प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर निवेदन है, कि जब्त शुदा उर्वरक प्रयोगशाला से मानक घोषित हुआ है, जो कृषि उपयोग योग्य है, को राजसात करने के आदेश दिये जावे। साथ ही निवेदन किया गया है, कि उर्वरक को राजसात करके ग्राम सेवा सहकारी समिति ततारपुर टपूकडा द्वारा विक्रय करने एंव प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करने के आदेश दिये जावे।

विद्धवान वकील उपस्थित नही हुये वक्त बहस अप्रार्थी रणधीर सिंह स्वयं उपस्थित होकर पत्रावली के संलग्न अप्रार्थी का जवाब दिनाक 08.05.2017 में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया है, कि प्रकरण में जब्त किये गये यूरिया के कटटे तथ्यो के विपरीत जब्त किये गये है, तथा प्रकरण गलत तथ्यो पर दर्ज किया गया है। यह सही है, कि अप्रार्थी मैसर्स हाई–टेक कैमिकल्स का साझेदार है। लेकिन अप्रार्थी के पास ग्राम बसई कलां तहसील किशनगढबास में कृषि योग्य भूमि है, अप्रार्थी काश्तकार भी है, कृषि कार्य हेतु यूरिया विनय खाद बीज भण्डार से खरीद किये गये थें। चूँकि अप्रार्थी फ्लैट में निवास करता है, जहा पर

यूरिया के कटटे रखने की पर्याप्त जगह नही होने के कारण व सुरक्षा की दृष्टि से उक्त कटटो को फैक्टी में रख दिया था। जिसे विभाग द्वारा गलत तरीके से जब्त किया गया है, तथा अधिग्रहण की कार्यवाही बेजा तौर पर की गयी है। उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि को सांय को यू.आई.टी. पुलिस थाना भिवाडी से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुयी कि भिवाडी में एक फैक्ट्री में कृषि ग्रेड के कटटे मौजुद है, सूचना पर भिवाडी स्थित फैक्ट्री मै0 हाई–टेक कैमिकल्स जी–1, 989 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया फेज–111 भिवाडी के प्रतिष्ठान पर पहुचे। फर्म पर श्री रणधीर सिंह पुत्र अमर सिंह मौजुद थे, जो अपने आपको फर्म के पार्टनर होना बताया। उनकी उपस्थिति में फर्म के परिसर का निरीक्षण किया तो वहा एन. एफ. एल. यूरिया के 40 कटटे व इफको यूरिया के 41 कटटे कुल 81 कटटे (बैग) कृषि ग्रेड के मिले। फर्म के पार्टनर रणधीर सिंह ने यूरिया खरीद के कोई बिल पेश नही कर पाया और न ही कोई इण्डस्ट्रियल उर्वरक लाइसेंस दिखा पाया। अप्रार्थी द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) 1985 के खण्ड 7 व 25 का उल्लधन पाये जाने पर नियमानुसार यूरिया के उपलब्ध 81 कटटो को जब्त किया गया। एवं दिनाक 29.04.2016 को जब्त उक्त यूरिया को सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम सेवा सहकारी समिति ततारपुर टपूकडा की सुपुर्दगी में दिया गया। वर्तमान में उर्वरक खराब हो चुका क्योकि उर्वरक कृर्षि में उपयोग हेतु अनुपयोगी है, जिनकी स्थिती बहुत खराब है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा उर्वरक का निस्तारण किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव वकुलाय की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) 1985 के खण्ड 7 व 25 का उल्लधन पाये जाने पर अप्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार यूरिया के उपलब्ध 81 कटटो को जब्त किया गया। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में स्वयं ही स्वीकार किया गया है, कि यूरिया के कटटे उनके ,द्वारा ही रखे गये है, नियमानुसार सबंधित विभाग की बिना विधिक अनुज्ञापत्र/अनुमति के कोई भी व्यक्ति इस प्रकार भण्डार नही कर सकता है, उक्त कार्यवाही ,काला बाजारी की श्रेणी में आती है। जो नियम विरूद्व है। उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा उक्त प्रकरण में की गयी कार्यवाही न्यायोचित है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनिय है, कि प्रकरण में जब्त किया गया उर्वरक विभाग द्वारा सुरक्षा की द्वष्टी से ग्राम सेवा सहकारी समिति ततारपुर टपूकडा को दिनाक 29.04.2016 सुपुर्दगी में दिया गया है। विभाग द्वारा जब्त उर्वरक का अंन्तरिम निस्तारण नही कराये जाने के कारण वर्तमान में उर्वरक

खराब हो चुका है, ऐसी स्थिति में जब्त शुदा उर्वरक को राजसात कर अन्तरिम निस्तारण किये जाने का भी कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उर्वरक निरीक्षक एंव सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में जब्तशुरा एन. एफ. एल. यूरिया के 40 कटटे व इफको यूरिया के 41 कटटे कुल 81 कटटे (बैग) कृषि ग्रेड को दिनाक 29.04.2016 ग्राम सेवा सहकारी समिति ततारपुर टपूकडा की सुपुर्दगी में दिये गये है, से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार नष्ट कराया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)